Research Paper
E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 4 | APRIL 2024

राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारिता के मध्य आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियां का एक विशद अध्ययन

सुनील भाटी [1]

[1] **पूर्व सहायक आचार्य [अतिथि शिक्षक], राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय देवली कलां जिला ब्यावर, राजस्थान.**

ABSTRACT:

भारतीय भूमि पर प्राचीन काल से ही नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल में उस को वंदनीय, पूजनीय स्वीकार किया गया। उसे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। आचार्य मनु नारी के महत्त्व को दर्शाते हुए कहते है-"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। " अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से ही प्रत्येक काल में नारी एक शक्ति के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत हुई है।

वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता एक आवश्यक तत्व है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। अतः लोकतंत्र में जन चेतना एवं जनसहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मूर्तरूप प्रदान करने का सशक्त माध्यम होती है। आधुनिक लोकतांत्रिक युग तथा महिला सहस्त्राब्दी में महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता एवं महिला विकास के प्रति बढ़ती चेतना के फलस्वरूप जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ राजनीति में भी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की सहभागिता आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय बन गया हैं।

आज अनवरत संघर्ष एवं योग्यता के आधार पर संपूर्ण विश्व में महिलाओं ने सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुँच कर हर क्षेत्र में स्वयं को पुरूषों के समक्ष साबित किया है। राजस्थान पंचायती राज चुनाव सन् 1995, सन् 2000, सन् 2005 व सन् 2010 में हुए हैं जिनमें सन् 2010 के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिससे महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और बढ़ गई है। जिसके कारण महिलाओं में छिपी हुई शक्ति उजागर हुई है। जो भविष्य में राजस्थान की राजनीति को ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है। लेकिन फिर भी महिलाओं के राजनीति में सक्रिय भागीदारी होने से अनेक समस्याएँ एवं चुनौतीपूर्ण मोड़ आते हैं। जिनका गंभीर चिंतन माना न केवल समय के किसी एक भाग के लिए आवश्यक है यह विषय अनवरत चिंतन की अपेक्षा रखता है।

KEYWORDS:

राजनीति, महिलाएं, भागीदारिता, समस्याएं, चुनौतियां, अध्ययन, समाज, संघर्ष, राजस्थान, झुन्झुनू जिला।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
5th April 2024	7th April 2024

प्रस्तावना

वर्तमान युग समानता का युग है। जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को एक ही दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन फिर भी सामाजिक धारणाओं के रूढ़ होने से अनेक क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहाँ पर स्त्री और पुरूष में मानसिक रूप से विभिन्न भेद दिखाई देते हैं। जिनका प्रभाव उन क्षेत्रों में गहराई से परिलक्षित होता है। भले ही शब्दों में भेद हो ना हो लेकिन मानवीय सभ्यता के मस्तिष्क में बसा हुआ भेद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। जिसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है।

वर्तमान बदलते हुए परिदृश्य में ज्ञान, समझ और मूल्य भी अपनी नवीनता के साथ उपस्थित हुए हैं जिनके चलते भारत में संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र एवं लोक कल्याणकारी राज्य में लिंग विभेद रहित समानता को बल दिया गया, जिसे व्यवहारिक एवं धरातलीय आधार देने हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा विस्तृत एवं वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया। इन संशोधनों द्वारा स्थानीय संस्थाओं को सुगठित, सुदृढ़ एवं अधिकार युक्त बनाने के साथ ही इनमें दलित वर्गों व महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर भारत में लोकतंत्र, लोककल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक न्याय को वास्तविक रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद संसद एवं राज्य विधान मण्डलों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु प्रयास किए गए, क्योंकि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, महिलाओं की दशा एवं स्थिति को सुधारने तथा भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की स्थापना एवं सुदृढ़ता के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

महिला राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा

वर्तमान में प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता एक आवश्यक संघटक है। प्रजातंत्र हो अथवा तानाशाही सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता के एक महत्वपूर्ण घटक के साथ उपस्थित है। सहभागिता भागीदारिता का ही पर्याय है। इसे हम सहभागिता के रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं। इस आधार पर भागीदारिता एवं सहभागिता के शाब्दिक अर्थ को देखें तो यह आंग्ल भाषा के Participation (पार्टीसिपेशन) का हिन्दी रूपान्तरण है। इसका सामान्य अर्थ भाग लेने की प्रक्रिया से है।"

राजनीति में यदि महिला सहभागिता की दृष्टि से चिंतन मनन किया जाए तो महिलाओं की सहभागिता से तात्पर्य उनके सत्ता में सहभागी होने से है और सत्ता के निर्धारण में महिलाओं को समानता एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति से है। समाज के द्वारा महिलाओं को राजनीति में सम्माननीय पद प्रदान किया जाना महिलाओं की सहभागिता एवं उनके विकास का एक अभिन्न अंग है। महिलाएँ समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक सहभागिता के स्तर से यदि देखा जाए तो यह लगभग नगण्य सा दृष्टिगोचर होता है। महिलाओं के राजनीति में सक्रिय न होने के मूलभूत कारण विशेष रूप से ग्रामीण संदर्भ में राजनीतिक सहभागिता का रूढ़ ग्रामीण संरचना से युक्त होना है।

राजनीति में महिलाओं का प्रतिशत न्यूनतम है। जब तक संसद, राज्य विधान मण्डलों, पंचायतों में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी। देश में उनकी स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती। इस संदर्भ में डेनमार्क के आहूस विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान संस्थान की प्रबुद्ध महिला जिन्होंने 'राजनीति में महिलाएँ' विषय पर शोध किया का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि, "जब तक राजनीति में कुछ गिनी-चुनी महिलाएँ रहेंगी तब तक कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। पर्याप्त संख्या में महिलाओं के राजनीति में आने के बाद ही इस क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन लाया जा सकता है"।

राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारिता

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं की भी राजनीतिक कार्यों में सहभागिता होना अनिवार्य है । राजनीतिक महिला सहभागिता का अर्थ है- किसी राजनैतिक प्रक्रिया में महिलाओं का भाग लेना। अतः महिला सहभागिता राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को इंगित करता है । जो राष्ट्र को, उसके विकास को महिला दृष्टिकोण से भी सहज ही भर देने वाला होगा। यह सहभागिता कई रूपों में हो सकती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सहभागिता । प्रस्तुत आलेख का सन्दर्भ महिला राजनीतिक सहभागिता से है । इसी सहभागिता के आधार पर अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स' में वैज्ञानिक आधार पर 158 संविधानों का अध्ययन कर संविधानों का वर्गीकरण किया तथा स्पष्ट किया कि, "सहभागिता लोकतंत्र का मर्म है । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया राजनीतिक सहभागिता द्वि-आयामी प्रक्रिया है, नागरिक से व्यवस्था की ओर तथा व्यवस्था से नागरिक की ओर इस द्वि-आयामी प्रक्रिया में वोट देना, उम्मीदवार खड़े होना, प्रतिनिधि निर्वाचित होना, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिमुखीकरण, दल एवं दबाव समूहों की गतिविधियों में भाग लेना सहज समाविष्ट है"।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक कार्यों में अधिक से अधिक सहभागिता परिलक्षित है । इसके लिए गठित समिति (सन् 1974) में अपनी रिपोर्ट में ग्राम स्तर पर महिला पंचायत के गठन की सलाह दी गई। जिसे महिलाओं के विकास व सहभागिता कार्यक्रमों के प्रबंध और प्रशासन के लिए स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से देखा गया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजनीतिक धरातल पर महिलाओं की सहभागिता को उचित ठहराया है। वे कहते हैं कि, "लोगों को जाग्रत करने के लिए सर्वप्रथम महिलाओं को जाग्रत करना आवश्यक है । एक बार जब ये गतिशील हो जाएंगी तो परिवार, गांव तथा राष्ट्र सभी गतिशील होंगे। " वास्तव में गतिशीलता के लिए महिलाओं की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहभागी तथा राजनीतिक सक्रियता आवश्यक है । महिलाओं की स्थिति उनके आर्थिक विकास, वैचारिक आदर्शों तथा राजनीतिक सक्रियता से निरंतर प्रभावित होती है । राजनीतिक सक्रियता के लिए राजनीतिक सहभागिता आवश्यक है ।

आज हम देखते हैं कि महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं । सार्वजनिक कार्यालय और निचले स्तरों पर राजनीतिक दलों हेतु चुनाव लड़ती हैं । पुरुषों की तुलना में राजनीतिक सक्रियता और मतदान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे सुदृढ़ क्षेत्र हैं । राजनीति में लैंगिक असामानता से निवृत्ति पाने के लिए भारतीय सरकार ने स्थानीय सरकारों में सीटों के लिए भी आरक्षण की स्थापना की है । भारत के संसदीय आम चुनाव के दौरान महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65 प्लस 63% था जबकि पुरुषों का प्रतिशत 67 पॉइंट 09% था। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में यदि देखा जाए तो भारतवर्ष सबसे निचले 20 में स्थान पर स्थित है । भारतीय मतदाताओं ने भारत में प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री आदि विभिन्न क्षेत्रों पर कई राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिए महिलाओं को चुना है।

राजस्थान राज्य के झुंझुनूं जिले के राजनीतिक संदर्भ

राजनीतिक क्षेत्र में परंपरागतता

राजस्थान राज्य के झुंझुनूं जिले के राजनीतिक क्षेत्र में परंपरागत रूप से राजनीति में सक्रिय परिवारों की ओर दृष्टि डाली जाए तो गहन अध्ययन के बाद ज्ञात होता है कि, झुंझुनूं जिले के कुछ परिवार ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से राजनीति में रहे हैं और वर्तमान में भी सक्रिय भाग ले रहे हैं । जिनमें जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों की महिला उत्तरदात्रियो में से 20.84 प्रतिशत उत्तरदात्रियो का कहना है कि, उनके परिवार परंपरागत रूप से राजनीति में अपना सक्रिय योगदान प्रदान कर रहे हैं । जबकि, 79.16% उत्तरदात्रियो का मानना है कि, उनके परिवार में परंपरागत रूप से कोई सदस्य राजनीति में नहीं रहा। उनका राजनीति के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं है।

राजनीतिक रैलियों में सहभागिता

राजनीतिक रैलियों के आधार पर यदि चिंतन किया जाए तो राजनैतिक पार्टी या किसी उम्मीदवार या राजनेता की रैली में भाग लेना भी राजनीतिक सहभागिता का ही एक हिस्सा है। इस दृष्टि से झुंझुनूं जिले से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकांश महिलाएं राजनीतिक रैलियो में भाग लेती हैं जबकि कुछ नारियो का मानना है कि वह राजनीतिक रैली में भाग नहीं ले पाते । उनके घरेलु कर्तव्य उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में रोकते हैं । इससे स्पष्ट है कि झुंझुनूं जिले की जिला परिषद ,पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में अधिकांश महिलाएं राजनीति में अपनी सहभागिता प्रदान करती हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश के माध्यम

महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बहुत सारे आयाम परिलक्षित होते हैं । राजस्थान के झुंझुनू जिले पर किए गए विशेष अध्ययनों से ज्ञात होता है कि, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने राजनीति में दल की सदस्यता के साथ प्रवेश किया है जबकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने राजनीति में प्रवेश करने हेतु चुनाव प्रचार को अपना माध्यम बनाया। कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं जिन्होंने स्वयं उम्मीदवार बनाकर राजनीति में अपना स्थान स्थापित किया । इसी प्रकार से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किसी आदर्श व्यक्ति से प्रभावित होकर किया है या फिर कुछ परिवार ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिन पर पारिवारिक राजनीतिकरण का दबाव रहा और उन महिलाओं को राजनीति में बिना उनकी रुचि के वोट बैंक की नीति के अनुसार मोहरा बनाया गया है । ऐसे स्थान पर महिला शक्ति का दुरुपयोग दिखाई देता है जो कि, राष्ट्रीय विकास में साधक न होकर बाधक ही होगा। हालांकि राजनीति में आना महिलाओं की स्वयं की भी इच्छा दिखाई दी है झुंझुनू जिले की कुछ महिलाएं ऐसी भी दृष्टिगोचर हुई है जिन्होंने अपनी स्वयं की रुचि योग्यता और निर्णायक क्षमता के आधार पर राजनीति को अपने उच्च व्यक्तित्व के लिए चयनित किया है।

राजस्थान की यह सभी महिलाएं वह राजनीतिक कार्यकर्ता है जिन्होंने अपने उत्कृष्ट बौद्धिक बल के द्वारा झुंझुनू जिले को एक नया दृष्टिकोण, नई क्षमता और नया प्रतिनिधित्व प्रदान किया है । उन्होंने अपने कौशल से न केवल राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिमान स्थापित किये हैं वरन् राजनीति के साथ-साथ अपने परिवारों को भी एक सुसंस्कृत स्वरूप प्रदान किया है । इन महिलाओं के स्वरूप को देखकर यह स्पष्ट होता है कि, आज महिला केवल एक घूंघट के आवरण में रहकर स्वयं को छुपा कर रखने वाली नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व और कौशल के दम पर विश्व तक अपनी योग्यताओं को अवलंब बनकर यश और कीर्ति पानी वाली एक सशक्त महिला है।

झुंझुनू जिले में राजनीतिक सहभागिता का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं मतदाताओं की समस्याओं को जानने के लिए घर-घर जाकर उनसे संपर्क साधती है, सभाएं बुलाकर गांव की चौपाल में जाकर प्रत्येक जन सामान्य के साथ संपर्क करती हैं, उनकी समस्याओं को जानती हैं और उनके समाधान प्रस्तुत करती हैं । इन महिलाओं ने अपने कर्मठ व्यक्तित्व के साथ समस्याओं से निपटने के विभिन्न आयाम जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किये हैं । वास्तव में इन महिलाओं ने अपने कौशल के द्वारा अनेक प्रकार से समाज में व्याप्त अशिक्षा, पर्दा प्रथा, पुरुष प्रधान समाज की विसंतियों व राजनीतिक जानकारी के अभाव, स्वयं की रुचि का अभाव आदि विभिन्न दृष्टिकोण से समाज के मध्य एक सकारात्मक क्रियाशीलता को उपस्थित किया है । इनके कर्मपथ की शैलियों और स्वरूप को देखकर यह सिद्ध होता है कि, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता न केवल क्षेत्रीय विकास के लिए बल्कि राज्य, राष्ट्र और विश्व के विकास के लिए अति आवश्यक है ।

महिलाओं की भागीदारिता के मध्य आने वाली समस्यायें एवं चुनौतियां

महिलाओं की राजनीतिक भूमिका वास्तव में उनके विवेक, सहिष्णुता, कर्तव्य परायणता और सृजनशीलता जैसे गुणों से युक्त है । उन्होंने अपने कर्तव्य बोध से राजनीति को एक नवीन विचार और आयाम प्रदान किया है । वर्तमान में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है । वह स्वतः ही प्रेरित होकर राजनीति की ओर सत्ता की कमान संभाल रही है और उनका कार्य पूर्ण ईमानदारी, सत्य भावना व कल्याण से जुड़ा हुआ है । लेकिन राजनीति के मध्य अपनी सहभागिता देने वाली महिलाएं विभिन्न नौकाओ पर पैर रखकर चलने वाली होती हैं । इसीलिए उनके कर्तव्य पथ पर अनेक समस्याएं और चुनौतियां उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं।

एक तरफ वह राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं तो दूसरी तरफ समाज में एक सशक्त स्त्री की भूमिका का निर्वहन करती है और जो सबसे मुख्य भूमिका उनके जीवन की है वह एक परिवार में उनके पत्नी, माता, बेटी आदि विभिन्न किरदारों की है । इस दृष्टिकोण में महिला अपने किसी भी रूप में, अपने किसी भी किरदार के लिए असफल सिद्ध नहीं होना चाहती और इन सभी किरदारों में अपनी भूमिका को उत्कृष्ट बनाने के लिए उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इन समस्याओं में सामाजिक कारक सर्वप्रथम सामने आते हैं।

झुंझुनू जिले की जिला परिषद, पंचायती समिति और ग्राम पंचायत में आज भी बहुत कुछ सीमा तक प्रचलित रूढ़ियां विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी रूढ़िवादी हैं । जैसे

मध्य युग में "कोऊ नृप होऊ हमें का आनि" की धारणा आधारित है। इसी कारण समाज में आज भी महिलाओं को चार दिवारी में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है।

सामाजिक समस्याओं के रूप में सबसे पहला कारक है **पर्दा प्रथा ।** महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में आना और अनेक मुद्दों को सबके सामने रखना आदि से पूर्व पर्दा प्रथा को सामने खड़ा करता है। पर्दा प्रथा के कारण राजनीति में रहते हुए भी उनको घूंघट निकालना पड़ता है। घर के बाहर हों अथवा अंदर उन्हें एक आवरण का सहारा लेना पड़ता है। रूढ़िवादी लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार से उनकी मेहनत को सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता और यही कारण है कि, वह चुनाव के उपरांत चयनित होने के पश्चात भी पंचायत के पद पर आने के बाद भी खुलकर अपने विचारों को नहीं रख पातीं। क्योंकि बैठकों में उनके आयु वर्ग के व्यक्तियों के साथ-साथ विभिन्न बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल होते हैं। जिनके कारण वह अपने विचारों को स्वतंत्र होकर रखने में शक्तिहीन होती हैं।

पितृसात्मक समाज महिला राजनीतिकारियों की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। जो पग पग पर उनके समक्ष एक चुनौती उपस्थित करती है। संपूर्ण भारतवर्ष पितृसात्मक समाज से सुशोभित है। प्रत्येक परिवार में पुरुष प्रधानता और संपूर्ण अधिकार एक पति, पिता अथवा पुत्र के हाथ में होना स्वाभाविक है। इन सभी संदर्भ में स्त्रियों की दशा आज भी अत्यधिक दयनीय बनी हुई है।

संयुक्त परिवार प्रणाली की दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त परिवारों में भी सबसे उच्च स्थिति पुरुष की ही है। पुरुष ही परिवार का शासक होता है। इन परिवारों में स्त्रियों की स्थिति आज भी निम्न है। रूढ़िवादी परंपराएं, संयुक्त परिवार की मान्यताएं, धार्मिक कर्मकांड जैसी समस्याओं का सामना इन महिलाओं को पग-पग पर करना पड़ता है। इसी के साथ-साथ घरेलू कार्यों, संतान उत्पत्ति एवं जीवन के आदर्शों को यदि अपनाने में किसी भी प्रकार से विफल रहती हैं तो अनेक प्रकार के अपशब्द और तानों को भी इन्हें सहन करना पड़ता है। जो उनके राजनीतिक भागीदारिकता में अनेक प्रकार की अव्यवस्था, समस्या और चुनौतियों को उत्पन्न करने वाला होता है।

इसी के साथ-साथ राजनीतिक भागीदारिकता में अपनी भूमिका की उपस्थिति प्रदान करने वाली महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या और चुनौती है उनके घरेलू कर्तव्य। वह चाहे किसी भी भूमिका का कितने भी अच्छी प्रकार से निर्वहन क्यों न कर रही हों। लेकिन यदि वह अपने घरेलू उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करतीं तो परिवार के समक्ष उन्हें अनेक प्रकार से लज्जित होना पड़ता है। जिसके कारण एक आत्मिक और मानसिक द्वंद्व उनको हमेशा घेरे रहता है।

शिक्षा का अभाव भी राजनीतिक भागीदारिता तथा सहभागिता में एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। जिसके कारण महिला भागीदारियों को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अशिक्षा के कारण वह अपने ऊपर विश्वास करने में असफल रहती है और पूर्णरूपेण पुरुषों और उनकी राजनीति का मोहरा बन जाती हैं। जिसके कारण पग पग पर उनको अनेक समस्याओं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त लड़कियों को दिया जानेवाला परंपरागत प्रशिक्षण, जातिवाद की भावना, यातायात के साधनों का अभाव, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, खर्चीली चुनाव प्रणाली, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का ह्रास, महिलाओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अभाव, बदनामी का भय, प्रमुख वर्चस्व, पंचायत भवन की व्यवस्थाएँ आदि विभिन्न कारक हैं जो उनकी सहभागिता में पग पग पर समस्या और चुनौती का रूप धारण करके आते हैं। लेकिन इसके बाद भी महिला शक्ति ने अपनी भूमिका को प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक रूप देने का प्रयास किया है और आज भी कर रही हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि, महिला जनप्रतिनिधियों को राजनैतिक सहभागिता के मध्य अनेक समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके समाने अनेक रूढ़ियाँ होती है जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि इन रूढ़ियों ने भी महिला विकास व सहभागिता को काफी हद तक प्रभावित किया है। इसके अलावा उनके सामने पारिवारिक जिम्मेदारी, परिवार का परम्परागत स्वरूप, परिवार की देखभाल, कृषि कार्य, शारीरिक श्रम का प्रभुत्व, सामाजिक परम्पराएँ, जातिवाद, सत्ताधारी वर्ग का वर्चस्व, अनुभवहीनता, पुरुषों पर वैचारिक निर्भरता, सामंजस्य का अभाव, निर्धनता, अशिक्षा, जानकारी का अभाव, प्रशासनिक असहयोग एवं आत्मविश्वास में कमी आदि बहुत से कारक हैं जो उनके मार्ग में चुनौतियां उपस्थित करते हैं। महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता निभाने में कठिनाइयाँ पैदा करती है जो महिला राजनीतिक सहभागिता के सामने प्रमुख चुनौती है।

यह क्षेत्र महिला जनप्रतिनिधियों को एक सकारात्मक चिंतन देने के लिए गम्भीर अध्ययन, सर्वेक्षण और जागरूकता पैमानों की अपेक्षा रखता है। जिनके माध्यम से महिला जनप्रतिनिधियों में जागृति लाकर समाज को एक नवीन रूप प्रदान किया जा सकता है।

REFERENCES

1. के. अनुजा देवी, - ग्रामीण महिला, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1977.
2. अरोड़ा, शशि, - राजस्थान में नारी की स्थिति, तरूण प्रकाशन, बीकानेर, 1981.
3. पारिक गिरिराज प्रसाद, - राजस्थान एक अध्ययन, राजीव प्रकाशन, जयपुर, 1987.
4. कुमार विश्वास - राजस्थान: कल आज और कल, अरविन्द बुक हाउस, जयपुर, 1993.
5. अरूण श्रीवास्तव, - भारत में पंचायती राज, आर.बी.एस.बी. पब्लिष्ट, जयपुर, 1994.
6. कलकल स्नेहलता - ग्रामीण नेतृत्व की उभरती प्रवृत्तियाँ, क्लासिक पब्लिकेशन, जयपुर, 2001.
7. अग्रवाल, प्रमोद कुमार - भारत में पंचायती राज, ज्ञान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003.
8. पाण्डेय गणेश एवं अरूणा पाण्डेय, - भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004.
9. दत्त, रंजीता कुमारी, - राजस्थान में नवीन पंचायती राज एवं महिला विकास अलवर जिले की महिला सरपंचों की दृष्टि में एक अध्ययन, नवजीवन पब्लिशर्स, निवाई, टोंक, 2007.
10. चौहान, भीम सिंह, - राजस्थान के पंचायतीराज में महिलाओं का योगदान, अरिहंत प्रकाशन, जोधपुर, 2011.